



उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(जिला विकास शाखा)

अल्पकालिन निविदा सूचना।

माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह, चतरा लोक सभा क्षेत्र के अनुशंसा के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद अन्तर्गत लातेहार जिला के बारियातु प्रखंड में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बारियातु के लिये कुल 100(सौ) अद्द 3-Seater बेंच डेस्क के क्रय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है—

- I- निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 07-06-2016, 2:00 PM
II- निविदा जमा करने का स्थान :- जिला विकास शाखा, लातेहार।
III- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 07-06-2016, 2:30 PM
IV- निविदा खोलने का स्थान :- उप विकास आयुक्त, लातेहार का कार्यालय
वैश्व

Description of Bench Desk

| | |
|-----------|---|
| Desk Top | 18 mm MDF with melamine board(double face) |
| Chair Top | 18 mm plywood with fire proof board |
| Metal | Epoxy Powder Coated, antirust, damp proof, strong |
| Board | Scratch-resistant, without contaminated |
| Frame | Square or round pipe 1"x1" |
| Thickness | 16 gauge |
| Desk | 5'0"x1'3"x2'6" |
| Chair | 5'0"x1'0"x1'6" |
| Self | 5'0"x1'0" |

निविदा संबंधित शर्त :-

1. निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा लिफाफा में Technical Bid एवं Financial Bid समर्पित किया जायेगा जिसमें सुरक्षित जमा राशि के रूप में 10,000.00 (दस हजार) रू० किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो उपायुक्त लातेहार/उप विकास आयुक्त, लातेहार के नाम भुगतये होगा। Technical Bid खोलने के उपरांत सभी कागजात सही पाये जाने की स्थिति में ही संबंधित निविदादाता का Financial Bid खोला जायेगा।
2. निविदादाता के द्वारा समर्पित निविदा के आधार पर उप विकास आयुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निविदा निष्पादन समिति के द्वारा निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
3. निविदादाता को यथा संभव बेंच डेस्क आपूर्ति करने का कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होने एवं SSI(Small Scale Industries) के संचालन का प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा।
4. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान के लिये विगत तीन वर्षों का (i) Income Tax Return (ii) Audit Report (iii) Commercial & sales tax स्वच्छता प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। Technical Bid में संलग्न किये गये कागजात का मूल प्रति निविदा के समय निविदादाता को अपने पास रखना अनिवार्य होगा तथा मांगे जाने पर क्रय समिति के सदस्यों के बीच प्रदर्शित किया जायेगा।
5. निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र समर्पित करना होगा जिसमें निविदादाता द्वारा यह स्पष्ट किया जायेगा कि निविदा प्रकाशन की तिथि तक उनके प्रतिष्ठान को किसी स्तर से काली सूची में नहीं डाला गया है।
6. निविदादाता को निविदा खोलने के समय जिलास्तरीय निविदा निष्पादन समिति के समक्ष स्वयं या उनके उपस्थिति प्रतिनिधि को समाग्री का नमुना प्रदर्शित करना होगा।
7. आपूर्तिकर्ता को सामग्रियों आपूर्ति करने के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. समाग्री के दर में सभी प्रकार के कर यथा GST, CST एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर ही न्यूनतम मूल्य अंकित करना होगा। अलग से किसी भी प्रकार का टैक्स/राशि का भुगतान नहीं

किया जायेगा उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय बारियातु में की जायेगी एवं किसी भी प्रकार का हथालन शुल्क अलग से देय नहीं होगा।

9. आवश्यकतानुसार बेंच डेस्क का क्रय हेतु आदेश दिया जायेगा तथा आपूर्ति की जाने वाले बेंच-डेस्क की संख्या घट-बढ़ सकती है।

10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं बिना कारण बताये सभी निविदादाओं या किसी विशेष निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अथवा क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

६०/-

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक:- 192 / जि०वि० दिनांक:- 26.05.2016

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को लातेहार जिला के बेवसाईट पर Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास, अभिकरण, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०/-

उपायुक्त, लातेहार।